बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

सं0सं0– खाद्य (निदे0)/प्र0–I–21/2024 खाद्य, पटना/दिनांक

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–3045 दिनांक 24.06.2024 एवं राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में विभागीय आदेश सं0–288 दिनांक 04.03.2025 के द्वारा श्री बरूण कुमार, श्रीमती अनसुया एवं श्री आशुतोष कुमार को विभिन्न जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में संविदा के आधार पर निबंधक के पद पर आदेश निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए नियोजित किया गया था।

2. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–3045 दिनांक 24.06.2024 में वर्णित प्रावधानों एवं निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक 33 दिनांक 08.01.2026 के द्वारा पुनः की गयी अनुशंसा के आलोक में संविदा नियोजित निम्नांकित निबंधकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–6 में अंकित अवधि के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र0 सं0	निबंधक का नाम	जन्म तिथि	नियोजन का कार्यालय	गत संविदा नियोजन संबंधी आदेश सं0 एवं दिनांक	विस्तारित सेवावधि
1	2	3	4	5	6
1	श्री बरूण कुमार	03.04.1970	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, भोजपुर	आदेश सं0–288 दिनांक 04.03.2025	04.03.2026 से 03.03.2027
2	श्रीमती अनसुया	24.06.1971	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, मुजफ्फरपुर	आदेश सं0–288 दिनांक 04.03.2025	04.03.2026 से 03.03.2027
3	श्री आशुतोष कुमार	10.09.1971	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सहरसा	आदेश सं0–288 दिनांक 04.03.2025	04.03.2026 से 03.03.2027

नियोजित निबंधक, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में कार्यरत कर्मियों से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्यों के कनीय प्रभारी होंगे। राज्य आयोग, सरकार और अन्य विभागों से प्राप्त विभिन्न पत्रों की प्रस्तुती और अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

3. यह अवधि विस्तार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना के संकल्प सं0–3045 दिनांक 24.06.2024 एवं सामान्य प्रशासन विभोग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित प्रावधान के तहत निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जाता है।

(क) आयोग में लंबित वादों की संख्या 500 से अधिक रहने पर समीक्षोपरांत आवश्यकतानुसार नियोजन को एक–एक वर्ष के लिए 65 वर्ष की उम्र सीमा तक विस्तारित किया जायेगा तथा इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर संविदा रद्द की जा सकेगी।

(ख) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 3045 दिनांक 24.06.2024 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में इनका मासिक मानदेय बिहार सरकार के लेवल–09 के आरंभिक स्तर 53100/– देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा एवं यह मानदेय पुरी सेवा अवधि तक अपरिवर्तित रहेगा।

(ग) मानदेय का भुगतान मांग सं0–18 के मुख्यशीर्ष–3456 सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष 0003 जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण) विपत्र कोड सं0–18–3456000010003 के विषयशीर्ष–28 02 संविदा सेवाएँ के अन्तर्गत आवंटित राशि से किया जाएगा।

(घ) सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–10000 दिनांक 10.07.2015 की कंडिका–3(6)(ii) के अंतर्गत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

(ङ) संविदा नियोजित कर्मी को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

(च) संविदा नियोजित कर्मी को कोई वित्तीय दायित्व नहीं सौंपा जायेगा।

10/02/2026

(सत्येन्द्र नारायण सिंह)
सरकार के अवर सचिव,
उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–खाद्य (निदे0)/प्र0–I–21/2024 733 खाद्य/पटना, दिनांक– 10-02-2026

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, भोजपुर, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा/निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा/कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा/विभागीय बजट शाखा, प्रशाखा–05/संबंधित निबंधकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/02/2026

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–खाद्य (निदे0)/प्र0–I–21/2024 733 खाद्य/पटना, दिनांक– 10-02-2026

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर upload करने हेतु प्रेषित।

10/02/2026

सरकार के अवर सचिव।